

प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
(ईमेल: hosd@pnb.co.in)

वीडियो कॉन्फ्रेंस/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली बैंक की 20वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

यह कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय तथा सेबी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार, शेयरधारकों के सार्वजनिक स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित होने वाली "पंजाब नैशनल बैंक" के शेयरधारकों की 20वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में समाचार पत्र में दिनांक 30.06.2021 (01.07.2021 को प्रकाशित) की हमारी सूचना के संदर्भ में है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में तथा उपर्युक्त उल्लिखित रियायतों के पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वार्षिक आम बैठक की सूचना भी शामिल है, शेयरधारकों (जिनकी ईमेल आईडी बैंक/निक्षेपागार भागीदार(रों) के पास पंजीकृत हैं) को केवल इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से भेज दी गई है।

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 यथासंशोधित ["ई-वोटिंग नियम"] के अनुपालन में बैंक सहर्ष अपने शेयरधारकों को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कार्य के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान का अधिकार प्रयोग (दूरस्थ ई-वोटिंग/वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग) करने की सुविधा दे रहा है।

वार्षिक आम बैठक की विस्तृत सूचना बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित की गई है।

कोई भी व्यक्ति जो वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रेषित किए जाने के पश्चात् बैंक का शेयर अर्जित करता है और बैंक का शेयरधारक बन जाता है एवं 19 जुलाई, 2021 को यथा निर्धारित अंतिम तिथि पर शेयर धारण करता है, वह सूचना में यथा उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने हेतु प्रक्रिया का पालन करे।

शेयरधारक, वार्षिक आम बैठक में ई-वोटिंग करने हेतु सूचना में दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। वे शेयरधारक जिन्होंने वार्षिक आम बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्प पर अपना मतदान कर दिया है, वे भी वार्षिक आम बैठक में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं लेकिन वे पुनः मतदान करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

शेयरधारकों से अन्य संबंधित जानकारी/प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना का संदर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब नैशनल बैंक
(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 04.07.2021